

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3538

दिनांक 03/04/2017 को उत्तर दिए जाने के लिए
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में अमृत प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना

3538. श्री नीरज शेखर:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है साथ ही वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान आबंटित, जारी की गई एवं खर्च की गई धनराशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके वर्ष 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत प्रौद्योगिकी (आर्सेनिक और धातु हटाने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी) को लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रौद्योगिकी के तहत शामिल किए जाने वाले जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)**

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत पेयजलापूर्ति के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, राज्यों को योजना-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। राज्यों के पास पेयजल योजनाओं की आयोजना, चयन और कार्यान्वयन की शक्तियां हैं। राज्य द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 30.3.2017 तक राज्यों के आबंटित निधियां, रिलीज और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-I** पर है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत देश में कार्यान्वित की जा रही चालू स्कीमों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर है।

(ख) से (घ) वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश के आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में पांच अमृत प्रौद्योगिक संयंत्रों (भारतीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए) को प्रायोजित आधार पर संस्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इन संयंत्रों में से प्रत्येक को उन्नाव, सोनभद्र, लखीमपुरखेरी, बरेली और बलिया जिले में संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार, उन्होंने आर्सेनिक हटाने हेतु अवशेषण आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने का निर्णय लिया न कि अमृत प्रौद्योगिकी को।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जिलों में संस्थापना हेतु अमृत प्रौद्योगिकी आधारित 385 जल शोधन संयंत्र प्रक्रिया में हैं और इन्हें 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य है।

अनुलग्नक-I

**दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3538 के उत्तर के भाग (क) में
उल्लिखित अनुलग्नक (राशि करोड़ रु. में)**

क्र.सं.	राज्य	2014-15			2015-16			2016-17		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	30/03/2017 तक रिलीज	व्यय
1	अंडमान और निकोबार	0.86	0.81	0.43	0.38	0.16	0.00	0.45	0.22	0.00
2	आंध्र प्रदेश	372.43	377.78	427.08	156.69	170.05	190.60	181.02	204.00	127.18
3	अरुणाचल प्रदेश	87.21	109.83	119.50	58.08	65.40	66.23	101.39	110.84	51.37
4	असम	501.10	585.32	586.88	268.26	284.11	216.20	402.15	348.06	152.38
5	बिहार	441.07	399.11	381.90	229.60	202.73	295.38	314.97	373.81	399.37
6	छत्तीसगढ़	159.08	150.74	173.08	63.69	60.83	64.64	70.65	84.28	58.60
7	गोवा	4.61	0.00	0.00	2.08	1.66	0.00	2.44	1.19	3.35
8	गुजरात	509.48	405.58	491.44	240.13	238.91	274.78	281.14	278.50	197.56
9	हरियाणा	218.09	277.98	228.82	97.65	122.65	150.74	114.71	111.53	64.77
10	हिमाचल प्रदेश	131.84	120.89	120.18	65.20	64.38	69.88	69.65	83.31	59.57
11	जम्मू एवं कश्मीर	461.33	474.41	458.03	199.40	192.12	222.16	233.29	225.14	100.99
12	झारखंड	169.86	175.18	206.88	126.85	132.09	133.70	115.86	131.74	130.67
13	कर्नाटक	623.20	563.91	622.37	307.62	278.08	366.68	360.07	343.72	206.97
14	केरल	115.59	124.10	131.86	52.78	48.05	64.45	62.54	75.22	30.36
15	मध्य प्रदेश	397.18	440.18	399.94	181.76	193.73	387.62	213.87	232.26	150.35
16	महाराष्ट्र	780.06	748.23	901.96	344.16	330.88	584.00	413.57	404.45	282.62
17	मणिपुर	90.35	88.54	92.25	28.98	27.92	43.44	41.83	40.61	18.66
18	मेघालय	59.61	69.50	81.02	30.52	31.24	30.92	42.02	40.42	27.10
19	मिजोरम	42.43	34.50	39.81	17.71	17.32	23.16	25.33	24.49	9.17
20	नागालैंड	108.19	101.44	86.45	39.27	38.53	61.90	37.93	36.84	14.28
21	ओडिशा	205.69	230.67	257.29	96.90	103.19	150.64	114.99	134.96	74.27
22	पुडुचेरी	1.62	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.86	0.29	0.00
23	पंजाब	93.88	97.38	90.23	39.77	42.79	36.57	46.02	51.89	52.10
24	राजस्थान	1194.46	1304.64	1386.79	547.17	526.75	480.21	1114.56	1072.92	293.59
25	सिक्किम	30.38	31.70	32.03	10.64	12.05	12.49	14.77	19.42	5.92
26	तमिलनाडु	367.36	382.46	432.39	169.50	182.35	164.85	157.60	174.68	129.51
27	तेलंगाना	200.65	212.24	189.25	88.77	97.71	106.42	117.03	133.09	97.39
28	त्रिपुरा	62.06	68.31	64.81	28.07	31.68	39.97	39.48	43.73	24.59
29	उत्तर प्रदेश	1006.43	1073.22	1146.18	477.69	490.31	690.46	653.77	621.95	388.60
30	उत्तराखंड	135.01	111.48	152.94	63.57	60.06	98.91	90.87	88.19	60.62
31	पश्चिमी बंगाल	436.53	431.09	480.72	199.68	216.85	288.75	438.91	440.15	362.91
कुल		9007.64	9191.22	9782.51	4233.31	4264.58	5315.75	5873.74	5931.90	3574.82

अनुलग्नक -II

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3538 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

30/03/2017 की स्थिति के अनुसार चल रही स्कीमें

क्र.सं.	राज्य	स्कीमों के संख्या
1	आंध्र प्रदेश	166
2	अरुणाचल प्रदेश	480
3	असम	3448
4	बिहार	445
5	छत्तीसगढ़	2870
6	गोवा	2
7	गुजरात	1040
8	हरियाणा	326
9	हिमाचल प्रदेश	478
10	जम्मू एवं कश्मीर	1868
11	झारखंड	2370
12	कर्नाटक	12277
13	केरल	245
14	मध्य प्रदेश	5062
15	महाराष्ट्र	5529
16	मणिपुर	298
17	मेघालय	958
18	मिजोरम	3
19	नागालैंड	100
20	ओडिशा	4451
21	पंजाब	1
22	राजस्थान	107
23	सिक्किम	1230
24	तमिलनाडु	10
25	तेलंगाना	33
26	त्रिपुरा	359
27	उत्तर प्रदेश	1952
28	उत्तराखंड	1142
29	पश्चिमी बंगाल	162
कुल		47412